



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 29.04.2025

- महिला सम्बन्धी अपराध पर अंकुश लगाने में कानपुर देहात पुलिस की एक और कार्यवाही।
- थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा महिला सम्बन्धी अपराध में वाँछित 01 नफर बाल अपचारी को निगरानी पुलिस में लिया गया।
- थाना भोगनीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 137/2025 धारा 65(1)/74/333/351(2) BNS व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट में वाँछित था बाल अपचारी।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेन्ज, कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री अरविन्द मिश्र के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, वादी श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री अनन्तराम निवासी दिबैर की मडैया अमरौधा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात हाल निवासी अल्लापुर रोड, पुखरायाँ थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात की लिखित तहरीर के आधार पर थाना भोगनीपुर पर दिनांक 27.04.2025 को मु0अ0सं0 137/2025 धारा 74/64/333/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 64 बीएनएस का लोप कर धारा 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी है। थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में वाँछित 01 नफर बाल अपचारी को मुखबिर की सूचना पर दिनांक 28.04.2025 को समय करीब 15.45 बजे किसान सेवा आश्रम के सामने झांसी-कानपुर हाइवे के किनारे थाना क्षेत्र भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात से निगरानी पुलिस में लिया गया। बाल अपचारी को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत कर बाल सुधार गृह भेजा जा रहा है।

निगरानी रखने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 जितेन्द्र कुमार तिवारी चौकी प्रभारी पुखरायाँ थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
2. हे0का0 80 पवन कुमार चौकी पुखरायाँ थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
3. का0 03 नितिन कुमार चौकी पुखरायाँ थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।